न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

1. रामसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रियांबड़ी।
2. उस्मान अली पुत्र हुसैन खां जाति देशवाली निवासी रसूलपुरा, अजमेर

बनाम

1. अयोध्याबाई पत्नी नृहसिंहदास, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
2. आयचुकी पत्नी रामेश्वरलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
3. ओमप्रकाश पुत्र फतेहराज, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
4. गब्बर पुत्र नथमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
5. गीता पुत्री हीरालाल जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
6. गीतादेवी पत्नी फतेहराज, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
7. गोपाल पुत्र नथमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
8. गोवर्धन पुत्र नथमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
9. घनश्यामदास पुत्र मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
10. छीतरमल पुत्र दीना, जाति खाती निवासी डेगाना, नागौर
11. छोटूलाल पुत्र दीना, जाति खाती, निवासी डेगाना, नागौर के कायम मुकामान
    - 11/1 शान्तिदेवी पत्नी छोटूलाल
    - 11/2 दुर्गादेवी पुत्री छोटूलाल
    - 11/3 बायादेवी पुत्री छोटूलाल
12. धर्मीचन्द पुत्र रामेश्वरलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
13. धीरूराम पुत्र नथमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
14. नृसिंहदास पुत्र मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर के कायम मुकामान
    - 14/1 रेणका देवी पत्नि नृसिंहदास
    - 14/2 दिनेश पुत्र नृसिंहदास
    - 14/3 महेश पुत्र नृसिंहदास
    - 14/4 उमेश पुत्र नृसिंहदास
    - 14/5 डाली पुत्री नृसिंहदास
15. पुखराज पुत्र पन्नालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर के कायम मुकामान
    - 15/1 अनिता देवी पत्नि पुखराज
    - 15/2 कपिल पुत्र पुखराज
    - 15/3 धर्मेन्द्र पुत्र पुखराज
    - 15/4 रक्षा पुत्री पुखराज
    - 15/5 ममता पुत्री पुखराज
16. प्रेमलता पुत्री मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
17. पुरूषोत्तम पुत्र मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
18. फुला पुत्री हीरालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
19. मैना पुत्री पन्नालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर के कायम मुकामान
    - 19/1 कौशल्या पुत्र मैना पत्नी पन्नालाल
20. रामकवर पत्नी नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी डेगाना, नागौर
21. रामदेव पुत्र नथमल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
22. रामनिवास पुत्र हीरालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी डेगाना, नागौर
23. रामनिवास पुत्र धूलाराम, जाति ब्रहाम्ण निवासी डेगाना, नागौर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

24. रामप्यारी पत्नी रामनिवास, जाति जाट निवासी डेगाना, नागौर
25. लक्ष्मीनारायण पुत्र फतेहराज जाति ब्रहाम्ण निवासी डेगाना, नागौर
26. सोहन पुत्र दीना, जाति खाती निवासी डेगाना, नागौर
27. हजारी पुत्र धूलाराम, जाति ब्रहाम्ण निवासी डेगाना, नागौर
28. हनुमानप्रसाद पुत्र दीना, जाति खाती निवासी डेगाना, नागौर
29. हनुमानप्रसाद पुत्र चम्पालाल, जाति ब्रहाम्ण निवासी डेगाना, नागौर
30. हीरादेवी पत्नी धूलाराम, जाति ब्रहाम्ण निवासी डेगाना, नागौर
31. तहसीलदार परबतसर
32. उप–पंजीयक पीलवा।
33. पटवारी, पटवार हल्का पीह।

दावा बाबत :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा, अधिवक्ता वादी
मुकदमां नम्बर :– 2024 / 129

निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 922, 923, 924, 925, 926, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 कुल रकबा 23.0500 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का मौके पर पक्षकारो की सहमति से बंटवारा होकर अलग–अलग सींवें नीवें कायम होकर अलग अलग काश्त कब्जा चला आ रहा है। लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत रूप बंटवारा नहीं हो रखा है, जमाबन्दी के अनुसार वादी का उपरोक्त भूमि में 1 / 16–1 / 16 हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त में आया हुआ है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी का अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रतिवादीगण बिना बंटवारे के भूमि का बैचान करन वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे वादी ने अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को परिशिष्ठ – (अ) में वर्णित किया है। जिसके अनुसार वादी के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद इन्तजार करने पर भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. हमने वादी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. वादी द्वारा वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 922, 923, 924, 925, 926, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 कुल रकबा 23.0500 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है, उपरोक्त आराजीयत में वादी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, शेष भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे है किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया है न ही कोई असालतन / वकालतन जबाब आदि पेश किया है। वादी ने वाद के साथ परिशिष्ठ (अ) पेश कर कब्जा काश्त बताया है, जिसके सम्बन्ध में भी प्रतिवादीगण

द्वारा कोई एतराज पेश नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के वाद पर मौन स्वीकृति प्रदान की है। वादी अपनी खातेदारी में दर्ज हक हिस्से के अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का निवेदन किया है जिसका वादी को कानूनी अधिकार है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवा कर अपने हक हिस्से की अलग से तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिस पर किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई एतराज पेश नहीं किया है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 922, 923, 924, 925, 926, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 कुल रकबा 23.0500 हैक्टर भूमि में वाद के साथ संलग्न परिशिष्ठ – (अ) के अनुसार वादीगण तदनुसार खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी की होल्डिंग कायम की जावे। परिशिष्ठ – (अ) डिक्री का पार्ट रहे। शेष भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में यथावत रहेगी। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प डयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाए। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(गुलाब सिंह वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर